न्यायालय, समाहर्त्ता, खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0.....से.....

जिला–खगड़िया.....,सा0.....,सन्.....

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
19.07.2017	पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1710/सी0आर0 दिनांक 10.05.2017 द्वारा बेलदौर थाना काण्ड संख्या–65/2017 दिनांक 04.04.2017 धारा–47(ए0) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जप्त किये गये देशी (महुआ) का पाऊच–18 पीस प्रत्येक पाऊच 200 एम0एल0 का पन्नी पोलीथीन में बंधा हुआ कुल 18x200ml=3 लीटर 600 थाना के मालखाना में रखा हुआ है। 200 एम0एल0 का पन्नी पोलीथीन में बंधा हुआ कुल 18x200ml=3 लीटर 600 सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकुल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि बेलदौर थाना कांड में जप्त देशी/विदेशी शराब को अपने देख रेख में नष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेगें। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक,खगड़िया/थानाध्यक्ष, बेलदौर/उत्पाद अधीक्षक,खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया।	